

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- ओ.पी. चंदेलिया आर.ए.एस


क्रमांक :- दुरुस्ती/2024/

दिनांक :-

-:आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र में प्रार्थी शैलेन्द्र सिंह चौधरी के शपथ पत्र व तहसीलदार भादरा के रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही मौजा करनपुराबारानी के खाता सं० 80/81, 81/351 तहसील भादरा जिला हनुमानगढ की जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-


क्र. स.	ग्राम/चक/प टवार मण्डल	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	करणपुरा बारानी	80/81, 81/351	शैलेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र जगदीश	शैलेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र जगदीश चन्द्र चौधरी


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ
दिनांक :-

क्रमांक:- सम/2024/

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एव बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. शैलेन्द्र सिंह चौधरी को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

